

कमांक : एफ. 15(4)2023 / गो.प्र. / प्रमुवसं-08069 /

दिनांक :

**-: कार्यालय-आदेश :-**

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.08.2023 की अनुशंषा के आधार पर निम्न लोकसेवकों को वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध निजी सहायक ग्रेड-1 से अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे-मैट्रिक्स के पे-लेवल एल-12 (ग्रेड पे-4800) में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम लोकसेवक (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	रिक्ति तिथि
1.	नरेश कुमार सिंहल	ईश्वरी प्रसाद	-	01.04.2023
2.	सुधीर कुमार शर्मा	काशीराम	-	01.04.2023
3.	राजेन्द्र कुमार शर्मा	मगन लाल	-	01.04.2023
4.	सुनील कुमार गोयल	बालस्वरूप गोयल	-	01.04.2023
5.	नरेन्द्र कुमार माथुर	बनवारी लाल	-	01.04.2023
6.	सत्यदेव पारीक	नृसिंह प्रसाद	-	01.04.2023

उपरोक्त कार्यरत लोकसेवकों को अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर पदोन्नति दिनांक से वेतन का काल्पनिक लाभ तथा नवीन पद पर कार्यग्रहण संभालने की दिनांक से वेतन का नगद लाभ देय होगा। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे तथा उपरोक्त लोकसेवक कार्य-ग्रहण की रिपोर्ट 10 दिवस में इस कार्यालय को भिजवायेंगे।

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हो तो ऐसे कार्मिक तीन पश्चात्त्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष लोकसेवको का पदोन्नति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उत्पन्न संतानों के संबंध में शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर उक्त अधिसूचना अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

६०

(मुनीश कुमार गर्ग)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15(4)2023/गो.प्र./प्रमुवसं/ 7363-7473 दिनांक : 25-08-2023  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर।
- 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (ट्री) राजस्थान, जयपुर।
- 4 परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-2, राजस्थान, जयपुर।
- 5 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एन.टी.एफ.पी., राजस्थान, जयपुर।
- 6 निदेशक राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान जयपुर।
- 7 निदेशक, परिचालन राज राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
- 8 समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।
- 9 उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक कार्यालय हाजा।
- 10 समस्त उप वन संरक्षकगण/भू-संरक्षण अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी।
- 11 उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन करने हेतु।
- 12 रक्षित पत्रावली/कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।



(बृज मोहन गुप्ता)  
उप वन संरक्षक (प्रस्था. अराजपत्रित)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
राजस्थान, जयपुर